राज्य में गिरते बाल–लिंगानुपात को रोकने के लिये एंव पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आई.ई.सी गतिविधियां, चार हमारीबेटी एक्सप्रैस वैन द्वारा संचालित की जानी है जिसके लिए गैर सरकारी संगठन की सेवायें लिये जाने से संबंधित स्थिति निम्न प्रकार है:–

पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित आई.ई.सी गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु एजेंसी/गैर–सरकारी संगठन जो कि राज्य स्तर पर केवल पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं इसके आमुखीकरण के क्षैत्र में कार्य कर रहा हो की कंसलटेंसी (सलाहकार) सेवाऐं लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त गैर–सरकारी संगठन का एक व्यक्ति प्रत्येक वाहन में माह में कम से कम 20 दिवस तक अपनी सेवायें उपलब्ध करायेगा एवं राज्य स्तर पर एक व्यक्ति के द्वारा इन सेवाओं के संचालन में समन्वयक व पर्यवेक्षण का कार्य कर राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को अपनी संस्था द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में निरन्तर सूचना प्रदान करेगा।

विभाग के द्वारा गैर सरकारी संगठनो से चाही जाने वाली सेवाओं के संबंध में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

1. आई.ई.सी के कार्यों हेतु एजेंसी/गैर–सरकारी संगठन द्वारा एक व्यक्ति प्रत्येक हमारी बेटी आई.ई.सी वाहन हेतु (कुल चार वाहनों के लिये चार व्यक्तियों की आवश्यकता है) एवं एक व्यक्ति राज्य स्तर पर उपलब्ध करवाना होगा जिनकी योग्यता निम्न प्रकार होगी:–

A हमारी बेटी आई.ई.सी वाहन हेतु वाहन में दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित व्यक्ति की योग्यता :–

a. न्यूनतम योग्यता: स्नातक/BSW/अन्य समकक्ष योग्यता।
b. आयु: 25 से 40 वर्ष
c. पीसीपीएनडीटी अधिनियम, महिला अत्याचार प्रजनन् एवं शिशु स्वास्थ्य, गिरते बाल–लिंगानुपात रोकने हेतु कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव।
d. अभ्यार्थी को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के बारें में अच्छी जानकारी हो एवं जिला अधिकारियों, पंचायती राज प्रतिनिधियों, समाज सेवकों इत्यादि को गिरते बाल–लिंगानुपात पर मीटिंग आयोजन करने का अनुभव हो।

e. एक माह में कम से कम 20 दिवस/कार्यक्रम हमारी बेटी आई.ई.सी वाहन के द्वारा संपादित करने तथा निर्देशानुसार वाहन में भ्रमण करने की क्षमता हो।

f. अंग्रेजी, हिन्दी व स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

g. दैनिक, सप्ताहिक एवं मासिक रिपोर्ट निर्देशानुसार भेजने का ज्ञान।

h. राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर हमारी बेटी आई.ई.सी वाहन की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित करने का अनुभव।

i. व्यक्ति को जनजागरण गतिविधियां संचालित करने के लिये सांस्कृतिक/लोक कलाओं से संबंधित कार्यक्रम करने का ज्ञान होना।

B राज्य स्तर पर सभी वाहनों का पर्यवेक्षण/समन्वयन हेतु समन्वयक की योग्यता

a. न्यूनतम योग्यताः स्नातकोत्तर/MSW/अन्य समकक्ष योग्यता।

b. आयुः 35 से 45 वर्ष

c. कंप्युटर का ज्ञानः MS word, Power Point, Excel & Internet Friendly.

d. पीसीपीएनडीटी अधिनियम, महिला अत्याचार प्रजनन् एवं शिशु स्वास्थ्य, गिरते बाल–लिंगानुपात रोकने हेतु कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव।

e. अंग्रेजी व हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक है।

f. एक माह में कम से कम 10 दिवस हमारी बेटी आई.ई.सी वाहन में निर्देशानुसार भ्रमण करने की क्षमता हो।

g. राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को हमारी बेटी आई.ई.सी वैन की दैनिक गतिविधियों के बारें में वस्तुस्थिति उपलब्ध कराते हुए आगामी योजना बनाने की क्षमता।

h. राज्य स्तर से जारी प्रत्येक आदेश, दिशा–निर्देश एवं पत्राचार को प्रत्येक हमारी बेटी आई.ई.सी वाहन तक पहुंचाना।

i. हिन्दी एवं अंग्रेजी में दैनिक, सप्ताहिक व मासिक रिपोर्ट तैयार करने का अनुभव

j. जमीनी स्तर पर हमारी बेटी आई.ई.सी वाहन में कार्यरत् समन्वयकों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना तथा नई गतिविधियों बनाना।

k. राज्य द्वारा पर आवंटित कार्य को समय सीमा में संपादित करवाना।

l. हमारी बेटी आई.ई.सी वाहन का सुचारू रूप से संचालन एवं राज्य स्तर से पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।

2. एजेंसी/गैर–सरकारी संगठन द्वारा दी जाने वाली सेंवाऐं/कार्य निम्न प्रकार होगाः–

कार्य की शर्तें :–

a. कार्य की समय सीमा एक वर्ष की होगी।

b. कार्यक्षैत्र संपूर्ण राजस्थान होगा।

c. राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओं अभियान के तहत् एवं राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आमजन के संचार शिक्षा, सूचना एवं आमुखीकरण का कार्य निष्पादन करना।

d. हमारी बेटी एक्सप्रैस में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और वीएचएससी सदस्य को आई.ई.सी गतिविधियों हेतु शामिल किया जाकर लिंग चयन रोकने के लिए एएनएम, AWWs और आशा का सहयोग लिया जाना।

e. "हमारी बेटी एक्सप्रैस" के भ्रमण के दौरान गाँवों में बालिका जन्मोत्सव की व्यवस्था की जाना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समय–समय पर बालिका का जन्मोत्सव का आयोजन हों ऐसा इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना।

f. लोगों को बालिकाओं की संख्या के गिरते प्रभाव के बारें में अवगत कराना एंव बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं जनता को इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए ग्राम स्तर पर योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

g. आम जनता को पीसीपीएनडीटी, अधिनियम पर आमुखीकरण एवं यह बताना कि बेटीयां कम हो रही है एवं महिला को भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिये ले जाना कानून्न अपराध है, यह सूचना प्रत्येक आमजन तक पहुँचे। उस क्षैत्र के ऐसे गैर–सरकारी संगठनों (समाज, निर्वाचित जन प्रतिनिधि, मुखिया, राजकीय सेवक, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता) को इस कार्य में सम्मिलित करना।

3. कार्यक्रम के लक्ष्यः– राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचना।

a. आमजन तक पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी।

b. बालिकाओं को गौरवान्वित करना।

c. प्रत्येक स्तर पर चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करना।

d. ANM, AWW, ASHA, निर्वाचित सदस्य, VHSC, सदस्य द्वारा 'बेटी बचाओ' अभियान की ग्राम स्तर पर कार्यक्रम बनाना।

e. घटती बालिकाओं का समाज में पडने वाले दुष्परिणाम के बारें में समाज को अवगत कराना तथा बेटी की गरिमा स्थापित करना।

4. कार्य पद्धतिः–

a. हमारी बेटी वाहन के द्वारा प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्तर पर पहुंचकर जनजागरण संबंधी गतिविधियां की जायेगी एवं भ्रमण करने वाले संबंधित स्थानों पर गांव/कस्बा/शहर के प्रमुख स्थल जैसेः– स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, परिसर, हॉस्पिटल, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर आई.ई.सी प्रचार समाग्री का प्रदर्शन किया जायेगा। राज्य के ग्रामीण/शहरी समस्त क्षेत्रो में भ्रमण करना तथा ग्राम पंचायतों मे रात्रि विश्राम करना।

5. बेटी बचाओ अभियान से संबंधित कार्यक्रमः–

a. एलसीडी द्वारा बाललिंगानुपात का प्रदर्शन, जिसमें समस्त भारत, राजस्थान, तथा संबंधित जिलें के आकडें दर्शाना।

b. एलसीडी द्वारा फिल्मस् तथा स्पोट्स का प्रदर्शन।

c. व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान तथा शपथ–पत्र भरवाना कि लिंग जांच में वे लिप्त नहीं होगें।

d. प्रश्नावली द्वारा समाज का feed back लेना।

e. आई.ई.सी समाग्री का वितरण।

f. ANM, AWW, ASHA एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एक स्थान पर एकत्रीकरण कर उनको इस समस्या के बारें में अवगत करवाना तथा बेटी को गौरान्वित करने के सुझाव देना जैसे बेटी जन्मोत्सव मनाना इत्यादि। चर्चा सत्र का आयोजन करना एवं Feed back/ सुझाव लेना।

g. लोक कलाकार, इत्यादि का नुक्कड नाटक, कठपुतली, गायन, इत्यादि के प्रदर्शन हेतु सहयोग लेना।

h. राज्य स्तर से समस्त ग्रास रूट लेवल पर की गयी गतिविधियों का संकलन करना।

i. ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचना तथा उनके दिमाग से "**बेटीयां बोझ है**" कि धारणा को खत्म करना तथा बेटियों को गौरान्वित करने के प्रयास करना।

j. चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन, पंचायती राज विभाग की साझा भागीदारी सुनिशिचित करके अभियान को सफल बनाना।

k. यह सुनिश्चित करना की प्रत्येक व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे कि लिंग चयन करना/करवाना अपराध है एवं इस हेतु सजा का प्रावधान है तथा गर्भवती महिला को चिकित्सक के पास गर्भ मे पल रहे भ्रुण का लिंग परीक्षण हेतु न ले जाया जावें।

l. बालिकाओं को स्कूल भेजनें हेतु समाज को प्रोत्साहित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि बालिकाऐं पढाई पूर्ण करने से स्कूल न छोडें।

m. राज्य में चल रही महिलाओं के उत्थान की योजनाओं को गांव–गांव तक पहुंचाना।

n. एक हमारी बेटी एक्सप्रैस को महिने में लगभग 20 कार्यक्रम ग्राम स्तर पर आयोजित करने होगें।

मानव संसाधन उपलब्ध कराने का इच्छुक गैर सरकारी संगठन निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में अपना प्रार्थना–पत्र सहित उक्त कार्य के लिये चाही गयी राशी के प्रस्ताव दिनांक 19.04.2012 तक कार्यालय, **निदेशक (आरसीएच) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005** में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। चयन किये गये गैर सरकारी संगठन को निर्धारित योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध कराने होगें एवं सभी गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित करनी होगी। समिति का चयन करने से संबंधित अधिकार पूर्ण रूप से विभाग का होगा।

प्रार्थना–पत्र का प्रारूप

विषयः– राजस्थान राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्यवन हेतु हमारी बेटी आई.ई.सी वैन द्वारा आई.ई.सी गतिविधियों का संचालन करना।

1. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने वाली गैर–सरकारी संगठन का नाम तथा पत्राचार का पूरा पता (टेलीफोन नं. आवश्यक):–.....

   .....

   ....

2. गैर–सरकारी संगठन का रजिस्ट्रेशन नम्बर .....मान्यता अवधि (रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
3. अनुभव का प्रमाण–पत्र (अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के क्षैत्र में अनुभव व संचालित गतिविधियों का विवरण देवें तथा प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
4. वित्तीय टर्न ओवर

वर्ष	राशि
2009–10	.....
2010–11	.....

5. यह प्रमाण–पत्र संलग्न करें कि विभाग द्वारा निर्धारित प्रार्थना–पत्र की शर्तों को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुतकर्ता द्वारा पढकर स्वीकार कर उसके अनुरूप कार्य करने के लिए सहमत है।
6. प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व उसकी फर्म की स्थिति.....
7. चाही गयी राशि का विवरण .....
8. विस्तृत प्रस्ताव संलग्न करें .....

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुतकर्ता /अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

मोहर व पता सहित

विषयः– हमारी बेटी एक्सप्रैस आई.ई.सी वाहनों के संचालन हेतु गैर–सरकारी संगठनों की सेवायें ली जाने के संबंध में।

हमारी बेटी एक्सप्रैस आई.ई.सी वाहनों के संचालन हेतु गैर–सरकारी संगठनों की सेवायें ली जाने के संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निदेशालय के पत्र क्रमांक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/2012/452 दिनांक 11.04.2012 के द्वारा प्रमुख तीन समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति) के समस्त संस्करणों में विज्ञापन प्रकाशन का कार्य आवंटन किया गया था।

निम्नलिखित समाचार पत्रों में निम्नांकित दिनांक को उक्त विज्ञापन का प्रकाशन हुआः–

समाचार पत्र का नाम	दिनांक को प्रकाशित
दैनिक भास्कर	17.04.2012
दैनिक नवज्योति	17.04.2012
राजस्थान पत्रिका	18.04.2012

उक्त विज्ञापन में प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में दिनांक 19.04.2012 तक आमंत्रित किये गये थे। चूंकि विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 17 एंव 18 अप्रैल, 2012 के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है इससे गैर–सरकारी संगठनों को प्रार्थना–पत्र जमा करवाने के लिए दो दिवस का समय ही उपलब्ध है। पूर्व में विभाग की वेब साईट पर अपलोडीड प्रार्थना के प्रारूप एवं अन्य शर्तों/जानकारी में गैर–सरकारी संगठनों को 7 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस प्रकार दिनांक 25.04.2012 तक प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये जायेगें।